

90.5
10/12/13

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013

Bigyani Bharti Petitioner

versus

The State of Bihar and others..... Respondents

subject:- *Other Misc*

INDEX.

Sl.No.	Particulars.	Pages
1.	Synopsis.	1 to
2.	Petition under Article 226 of the Constitution of India.	1 to 11
3.	Annexure-1: A true copy of the Letter dated 21.12.2005.	12
4.	Annexure-2: A true copy of Khatiyar.	13
5.	Annexure-3: True copies of representations Series dated 13.5.2013, 16.5.2013 and 23.5.2013.	14-19
6.	Annexure-4: A true copy of Enquiry Report.	20
7.	Annexure-5: A true copy of the Letter dated 22.6.2013.	21-22
8.	Annexure-6: A true copy of representations Series. dated 24.6.2013 and 4.7.2013.	23-27
9.	Vakalatnama of the petitioner.	

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013

Bigyani Bharti Petitioner

Versus

The State of Bihar and others..... Respondents

- SYNOPSIS :-

This is an application for direction to the Respondent to make building of Anganwari Centre No.68 in Campus of Upgraded Middle School, Machaha, Madhepura after restraining the construction of building of Anganwari Centre No.68 in the house of Respondent No.7 which was done in illegal manner.

PARA-3 Petitioner is at present posted as Anganwari Sevika at Centre Machaha, Saran Tola, Centre No.68, Panchayat Rauta District-Madhepura.

April-2004 Petitioner joined on post of Anganwari Sevika.

PARA-4

PARA-5 Anganwari Centre has no any building since it is running at the door of Arun Mandal.

21.12.2005- There is direction of State Government that to Anganwari

PARA-6

Annexure-1 Centre in the Campus of Primary School or Middle School.

PARA-7

Annexure-2

It was decided to make construction of Anganwari Centre No.68 in the campus of Upgraded Middle School, Machaha.

PARA-8

Anganwari Sevika Respondent No.7 in collusion with

(11)

Respondent No.6 has started construction of Anganwari Centre No.68 in the Campus of the house of Anganwari Sahayika.

13.9.2013
16.5.2013
23.5.2013
PARA- 9

Petitioner gave representation to authority concerned to restrain Respondent No.6 and 7 from illegal construction of Centre.

PARA- 10
Annexure- 4

Mahila Supervisor made spot enquiry and found illegal construction of Anganwari Centre No.68 in the house of Respondent No.7.

Annexure- 5
22.6.2013
PARA- 11

C.D.P.O. Kumarkhand gave information to D.P.O., Madhepura and asked direction.

24.6.2013 &
4.7.2013
PARA- 12
Annexure- 6

Villagers and petitioner gave representations to authority concern but no response.

Hence this Writ application.

.....

A.P.
5/12

In the High Court of Judicature at Patna.

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. _____ of 2013.

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India.

And

In the matter of :-
Sri Sri Bharti wife of Sunash Kumar Mandal
Resident of Village-Machhaha, Ward No.2, Police
Station-Shankarpur, District-Madhepura.

..... Petitioner.

Versus

1. The State of Bihar through Principal Secretary,
Social Welfare Department, Patna.

2. The Director, Samakhi Child Development Project,
Bihar, Patna.
3. The District Magistrate, Madhepura.
4. The Block Development Officer, Kumarkhand,
District-Madhepura.
5. The Child Development Project Officer, Kumarkhand,
District-Madhepura.
6. Panchayat Sachiv, Panchayat, Bauta,
District-Madhepura.
7. Sita Devi wife of Chheni Yadav, Resident of
Village-Machaha, Police Station-Shankarpur,
District-Madhepura.

..... Respondents.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshi,
the Chief Justice of the High Court of
Judicature at Patna and her Companion

The humble petition on
behalf of the petitioner
abovesaid;

Most Respectfully Sheweth :-

1. That this is an application for
issuance of an appropriate writ in the nature of
Mandamus direction to the Respondents to make the
building of Angarwari Centre No. 68 in the campus
of Upgraded Middle School, Machhaha in the District
of Madhepura after restraining the construction of
building of Angarwari Centre No. 68 in the house of
Respondent No. 7 which was done in illegal manner with-
out permission of higher authority and any other
appropriate writ, order, direction save and except
in accordance with law.

2. That the petitioner is the citizen of
India and lives within territorial jurisdiction of

3. That the petitioner is at present posted as Anganwari Sevika at Centre Machaha, Sardar Tola, Centre No.68, Panchayat Rauta, Block-Kumarkhand, District Madhepura.

4. That the petitioner joined on the post of Anganwari Sevika in April 2004 and since then she has been discharging her duty as Anganwari Sevika.

5. That it is relevant to state here that there is no own building for running Anganwari Centre. It was running earlier in ward No.1 and now at present the Anganwari Centre is running at the door of Ann Mandal Just adjacent to the Upgraded Middle School, Machaha, Madhepura.

6. That there was direction of State Government vide Letter dated 21.12.2005 to all concerned District Magistrate, District Welfare Officer to run Anganwari Centre in the Campus of Primary School or Middle School.

A true copy of the letter dated 21.12.2005 is annexed herewith and marked as Annexure '1' to this application.

7. That as per aforesaid direction it was decided by the concerned authority to make construction of Anganwari Centre No.58 Centre Machaha Sardar Tala in the Campus of Integrated M.I. Centre, Machaha. The area is one Acre, Khat a New 3483, Khesra 5266 New opened in the name of Bihari ~~kar~~.

A true copy of Khatiyon is annexed herewith and marked as Annexure-'2' to this application.

8. That it is submitted that the Anganwari Sahayika Respondent No.7 in collusion with Respondent No. 8 in illegal manner has started construction of

Anganwari Sahayika Respondent No.7.

9. That the petitioner then gave representation dated 13.5.2013, 16.5.2013 and 23.5.2013 to the higher authority requesting to restrain Respondent No. 6 and 7 from construction of building of Anganwari Centre No. 68 in the campus of the house of Respondent No. 7 but nothing done.

Documents in support of representation dated 13.5.2013, 16.5.2013 and 23.5.2013 are annexed herewith and marked as Annexure '3' series to this application.

10. That the Mahila Supervisor made spot enquiry and found that the illegal construction of Anganwari Centre No.68 in the Campus of the house of Respondent No.7 and submitted enquiry report to C.D.P.OO Kumerchand.

then the villagers and the petitioner gave representation dated 24.6.2013 and 4.7.2013 to the higher authority requesting to make construction of building of Anganwari Centre at the Campus of Upgraded Middle School Machhaha in the district of Madhepura.

A true copy of representations dated 24.6.2013 and 4.7.2013 are annexed herewith and marked as annexure-1 & 2 to this application.

13. That the Respondent No. 7 in collusion with Respondent No.6 continued construction of building of Anganwari Centre No. 68 at the campus of the house of Respondent No.7, in spite of several representations made by the petitioner as well as villagers.

14. That the Mahila Parvakhshak after enquiry

is continuing in the campus of house of Respondent No. 7 which is illegal and said centre is not connected from the road and there is no way to go at the Centre, since there is way for going centre by the house of Respondent No.7 but it is said that Respondent authority has not taken any step.

15. That the Human Rights Commission letter dated 21.12.2008 (Annexure 1) already issued direction to stop the illegal construction in the campus of Prakash School (Annexure 2) but authority concerned has not followed the said order with the help of Respondent No.6 the illegal construction of Centre was continuing the house of Respondent No.7.

16. That if the illegal construction is not stopped then the Children of Anganwari Centre No. 68 will be effected.

17. That the Respondent No.6 is not taking any step

alternatives and efficacious remedy other than by way of this application.

18. That the petitioner has not moved earlier before Hon'ble High Court for the reliefs as prayed in Para-1 to this application.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to allow this application in terms Rule 11-A calling upon the Respondents and other interested parties be pleased to allow this application and grant reliefs to the petitioner as prayed in Para-1 to this application.

And/Or

Pass such other order or orders as your Lordships may deem fit & proper

And for this the petitioner shall ever pray.

27
Amit Kumar, resident of Village-Machhaha Ward No. 2,
Police Station-Shankargarh, District-Madhepura, do hereby
solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am Petitioner in this case and as such am well
acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read
over and explained to me in Hindi which I have fully under-
stood the same and the statements of facts made in Para-
nos. 2 to 5, 9, 12 to 16 — are true to my knowledge and
those made in Paragraph nos. 6 to 8, 10 and 11 —
are based upon informations derived from the records of
the case which I believe to be true and the rest are by
way of submission to this Hon'ble Court.
3. That the annexures are true/photostat copies of their
respective originals.

विश्वनी भारती

13

अ नै क ष र - 2

418

30.7.13

30.7.13

17.7.13

खतियान की सच्ची प्रतीतिपि

माँजा श्री पुर धारा नं० 243 अषल कुमार लई जिला मधेपुरा

साथिक लग्न पाने हाल नाम रेयत पिता कानाम छेसरा चौहदी
छाता घाले का नाम छाता नं० कानाम

1340 छे० सं० 3483 अनाबाद सर्व साधारण 6266

126 | 53

सेवा में,

श्री मान पूर्ण विकास पदाधिकारी

कुमार लाल { मधुपुरा }

विषय :- आंगनवाड़ी केंद्र सं० 06 के भवन निर्माण के संबंध में

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं पिछानी भारतीय

आंगनवाड़ी केंद्र महा सरदार टोला, पंचायत राता केंद्र सं० 068

पूर्ण कुमार लाल की सेवा है, यहां आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण

कार्य आरंभ हुआ जिसका अधिकारी पंचायत सचिव

जी है, सर्वसम्मति से केंद्र का निर्माण 30 म० 10 म० महा केरिस्तर

में होता था, जो पोषक क्षेत्र के मध्य में है तथा जहां बच्चा को आने जाने

की सुविधा सुविधा है, जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव भवन निर्माण

के लिए जमीन का खंता खेतरा बिहार सरकार का दिये है, लेकिन वह

सहायिका के आंगन परिसर में बना रहे है, जो पोषक क्षेत्र के मध्य में भी नहीं

है, तथा आनेजाने की सुविधा नहीं है, इस जमीन पर सहायिका का पूर्ण

स्वयं कब्जा है, विभागीय नियमका उल्लंघन करते हुए अधिकारी पंचायत

सचिव ने केंद्र का निर्माण सहायिका के आंगन परिसर में कर रहा है

जिसकी जानकारी नहीं है सेवा वार्ड सचिव, उप मुखिया निगरानी समिति के

सदस्य का अधिकारी

15

अच्छे लामुक अभिभावक गण पु० ग्रामीण कौनही है, केन्द्र संघालन हेतु सहायिका के दरवाजे छोड़कर आना जाना पड़ेगा तथा उसके आंगन में परिसर में केन्द्र का संघालन करना पड़े जहाँ मैं अपने आपको काफी असुरक्षित समझती हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते

हूँ इस विभागीय नियमानुसार केन्द्र के भवन का निर्माण उ० म० वि० महा पूर्व के परिसर में जो विशेष क्षेत्र के मध्य में है तथा पर्याप्त जमीन है जहाँ दोनों तरफ से सड़कें लामुक बच्चे केन्द्र पर अतारों से सतमय आकर लाभान्वित हो सकें।

विश्वास भाजिका

पिछानी भारतें

आंगनवल्ली सेविका केन्द्र सं० ०६८

बंघायत रौला

प्रतीतिपि:-

पुलक कुमार लंड

१. जिता पदा० मधेपुरा

२. जिता कार्यक्रम पदा० मधेपुरा

३. बालविकास परियोजना

पदा० कुमार लंड

अने वषर -3 सारज

सेवा मे,

श्री मान पूर्ण विकास पदाधिकारी

कुमार खंड १ मधेपुरा १

विषय :- आंगनवाडी केंद्र सं० 068 के निम्न निर्माण के संबंध मे।

महाशय ,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना हे कि मे विद्वानी भारती आंगनवाडी केंद्र मछहा सरदार टोला , पंचायत राता केंद्र सं० 068 पूर्ण कुमार खंड की सेविका हू, यहां आंगनवाडी केंद्र का निर्माण कार्य आरम हुआ जिसका अमिकता पंचायत सचिव विश्व नाथ यादव जी हे सर्व सममिति केंद्र का निर्माण उ० म० वि० मछहा के परिसर मे होना था , जो पोषक क्षेत्र के मध्य मे हे, तथा जहां बच्चो को आने जाने की सुविधा हे जानकारी के मुताबिक पंचायत सचिव मान निर्माण केलिए जमीन का सीता खेसरा बिहार सरकार का लिए हे, जसे जेकवह सहायिका के आंगन बाडी मे परिसर मे बना रहेहे, जो पोषक क्षेत्र के मध्य मे भी नही हे, तथा आने जाने की सुविधा नही हे, इस जमीन पर सहायिका का पूर्ण रूपेन कब्जा हे, विभागीय नियम का उल्लंघन करते हुए अमिकता पंचायत सचिव के केंद्र का निर्माण सहायिका के आंगन परिसर मे कर रही हे। जिसकी जानकारीन ता सेविका क्वार्टर सदस्य उप मुख्या निगरानी समिति के सदस्य मण अध्यक्ष लामुक अभिभावक मण या ग्रामीण को नही हे।

केंद्र सचिव

2.

केंद्र संघालन हेतु सहायिका के दरवाजे खोकर आना जाना पड़ेगा तथा उसके आंगन परिसर में केंद्र का संघालन करना पड़ेगा, जहां मैं आने जाव को काफी असुरक्षित समझती हूँ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विभागीय नियमानुसार केंद्र के भवन का निर्माण 30 मी 0 वि 0 मी हा पूर्व के परिसर में जो पार्श्व क्षेत्र के मध्य में है, तथा पक्का जमीन है जहां दोनों तरफ से लोटे लाइक बन्दे केंद्र पर आसानी से सतमय आकर लाभीषित हो सके।

विश्वास भोजिका

पुरे ललिपि

विज्ञानी मारती

आंगनवाड़ी के, सेविका केंद्र सं 068

पंजायत रौता 16-5-2013

पुर्के अंवल कुमार छंड

पुर्तिलिपि:- 1. जिला पदाधिकारी मधेपुरा

2. जिला कार्य क्रम पदाधिकारी

3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कुमार छंड

अनेक घर - 3 तिरिज

सेवा मे,

श्री मान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

मोपुरा ।

विषय :- आंगनवाडी केंद्र को उ० मध्य विद्यालय महा पूर्व
केरिस्तर के संघा सलकरने की अनुमति हेतु।

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं विधानी भारती
आंगनवाडी सेविका , केंद्र महा , सरदार टोला केंद्र सं० ६९
पंचायत रौता पुरखे कुमार खंड की सेविका हूं, वर्तमान मे केंद्र का
संघालन रीकी खास व्यक्ति के दरवाजे पर खोरहा है, जो पोषक
क्षेत्रके सब मध्य मे नहीं है, जिससे पोषक क्षेत्र के बच्चोंको केंद्र तक पहुंचने
मे काफी असुविधा होती है, तथा कुछ बच्चे समाजिक मत्सिद के कारण
वहां नहीं जाना पाहते है, साथ ही वहां बच्चों के ठहराव की भी असुविधा
है जबकि पोषक क्षेत्र के मध्य मे उत्कृमित मध्य विद्यालय महा पूर्व
है जहां बच्चा आसानी से पहुंच सकते है।

अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि मुझे उत्कृमित

2.

उत्कृष्ट मध्य विद्यालय महा पूर्व में जो पोषक क्षेत्र के बिल्कुल
मध्य में है, केंद्र संचालन करने की अनुमतिदान की जाए ।

विश्वास भाजिका

विज्ञानी भारती

आमनवाही सेविका

केंद्र महा सरदार टोला

केंद्र सं ८८

पंचायत रौला

पुर्छंड कुमार छंड

जिला मधुपुरा

अ ने क घ र -4-

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी

कुमार लख

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के,

विषय :- पत्रांक 402-2 1/6-13 के स्थानीय जांचके संबंध में
महाशय ,

उपर्युक्त विषयक जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पत्रांक 412-2
दिनांक 1-6-13 के आलोक में परिवादी विज्ञानी भारतीय सेविका केंद्र सं.
68 द्वारा प्राप्त पत्रिका के आलोक में दिनांक 4-6-13 स्थलीय जांच के
क्रम में पाया कि आंगनवाडी केंद्र संख्या 68 के लिए केंद्र भवन निर्माण
गीता देवी आंगनवाडी केंद्र सहायिका के पति उद्दी यादव के घर के पीछे
निर्माण हो रहा है केंद्र भवन सड़क से जुड़ा नहीं है, एवं वहां भवन
बन रहा है रास्ता नहीं है, वहांपर आने जाने के लिए आंगनवाडी सहायिका
के दरवाजे टांकर ही जाना पड़ेगा।

जहां तक उत्कीर्णत विद्यालय महा परिसर में केंद्र निर्माण का जिक्र है
इस संबंध में कहना है कि विद्यालय परिसर में केंद्र भवन बनने से पार्श्व
क्षेत्र के मध्य में पड़ेगा एवं वही वहां आने जाने की सुविधा भी है।

अतः आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह0असप 68

22-6-13

साधना कुमारी

22-6-13

मीशला पर्या

बाल विकास परि० कुमार लख

अनेक वर - 5.

कार्यालय बाल विकास परियोजना कुमार खंड

पत्रांक 145 दिनांक 22-6-2013

पुष्पक,
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
कुमार खंड

सेवा में,

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी

मधेपुरा ।

विषय :- जांच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 402-2 दिनांक 1-6-2013

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त परिवार की जांच महिला पर्यवेक्षिका से कराइ गई। जांचके क्रम में पता गया कि आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 68 के आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण में जो हो रहा है वह उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका श्रीमति मीता देवी के घर के पीछे बन रहा है, केंद्र भवन सड़क से जुड़ा नहीं है तथा आंगनवाड़ी केंद्र पर जाने की रास्ता नहीं है वहांपर जाने आने के लिए एक सहायिका के दरवाजे होकर ही जाना पड़ेगा जो बाद में विवाद रूप हो सकता है।
सातथ्य होकर ^{विभागीय} नियमानुसार आंगनवाड़ी केंद्र भवन निर्माण से पूर्व अधीक्षिका से आपत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं लिया गया है। अतः महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन की मुल प्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि अनेक स्तर से पुष्पक विकास पदाधिकारी कुमार खंड को निर्देशित करने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन

H0असमष्ट

22-6-13

बाल विकास परि० पदा०

कुमार खंड

22

2.

ज्ञापिकांक 1485/ दिनांक 22.6.13

प्रतिलिपि:- अंश पदाधिकारी कुमार लैं को सुधनार्थक एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0असप0ट

22.6.13

बालविकास परि0 पदा0

कुमार लैं

ह0असप0ट

22.6.13

अने क घर -6.

सेवा मे,

श्री मान अंजल अधिकारी महोदय ,

कुमार खंड ।

विषय :- आंगनवाडी केंद्र महा सरकार टोला केंद्र सं० 68 पंचायत
राता के अर्तगत भवन निर्माण के संबंध मे।

पुसंग :- माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार पत्रांक । क्रमांक ४ व 9-

84/ 2002 पटना दिनांक 2-10-2005 एवं जिला कल्याण

पदा० के पत्रांक 43 दिनांक 3-12-2005

महाशय ,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे श्री मान का
व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए हम सत्री ग्राम वासी पंचायत
राता , पुरखे कुमार खंड जिलामकोपुरा आपसेक अनुरोध करना चाहेंगा
कि आंगनवाडी केंद्र सं० 68 जो केंद्र का भवन निर्माण कार्य
होता है, इस संबंधमे कहना है कि निवर्तमान मे सहायिका गीता देवी
अपने आंगनवाडीरस्तर मे केंद्र निर्माण करना चाह रही है, जो मेथिक
पंजीमे एक किनारे ४ उत्तर दिशा ४ मे पड़ता है, जहां आने जाने
की सुविधा नहीं है, साथ ही सरकारी खेती जमीन भी नहीं है, यहां निर्माण
होनेसे हम जनता एवं बच्चों को कोई सहुलियत नहीं है उसके साथ भी

उक्त उक्तकेसाथ=है==सस्का=है=जमीनकी उसके साथ भी किसी खास व्यक्ति का दवा दवा बना रहेगा। जो नियमानुक्रम नहीं जान पड़ता है, ऐसी परिस्थिति में सरकार के आदेशों के अलावा 30 म० विद्यालय महा के बगल में जहाँ बिहार सरकार की काफी जमीन है साथ ही आवागमन की सुविधा है, ऐसा होनेपर विद्यालय कभी कोई आपत्ति नहीं होगी, और केन्द्र का संचालन भी सही रूप से होगा 30 म० वि० महा सिविल के बगल चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

26. नि० नागो चिन्मय

27. रणधीर चिन्मय

28. नि० सुतल चिन्मय

29. नि० दिनेश चिन्मय

30. नि० सुरेश चिन्मय

31. नि० महेन्द्र चिन्मय

32. उजास चिन्मय देवी

नि० जोगी यादव

बबीता देवी

नि० श्री लाल मंडल

नि० कंचन देवी

नि० सहतीलया देवी

3.

नि० प्रमिलादेवी

नि० सुलोचना देवी

मनीष मंडल

षीणा देवी

नि० सुहाग्रीदेवी

नि० कुलाक्षी

संतोष मंडल

राज कुमार मंडल

अनेक घर - 6 श्रीराम

सेवा में,

श्री मान जिला पदा० महोदय का जनता दरवार मधेपुरा

विषय :- आंगनवाड़ी केंद्र महा सरदार टोला केंद्र सं० ६८ पंचायत

रातापुल्ले कुमार लै के अर्जित भवन निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- माननीय मुख्य सचिव बिहार सरकार पत्रांक । ४ खा । ४

१-८४/२००२ पटना दिनांक २१-१०-२००५ एवं जिला कल्याण

पदा० पत्रांक ०३ दिनांक ३-१२-२००५ के आलोक में।

महाशय ,

उपरोक्त विषयक प्रारंभिक पत्र के संबंध में श्रीमान का ध्यान

आकृष्ट एवं स्मरण कराते हुए मैं विद्वानीभारती आंगनवाड़ी सेविका ,

केंद्र सं० ६८ केंद्र महा सरदार टोला पंचायत राता पुल्ले

कुमार लै जिला मधेपुरा आप से पुनः अनुरोध करना चाहूंगी कि

आंगनवाड़ी केंद्र सं० ६८ का भवन निर्माण वर्तमान में सहायिका

करा रही है, श्रीत गीता देवी प्रतिदीया देव अपने आंगनवाड़ी आंगन परिसर

में करा रही है, जो मैपिक पंजी के सर्किलारे में पड़ता है जहां आने जाने

कोई सरकारी रास्ता नहीं है, साथ हीमकन जो बन रहा है कोदेसी

से कोई भी व्यक्तिगत यह कहसकता है कि यह सहायिका का निजी घर है

जबकि उस मध्य विधायक महा पूर्व की मैपिक पंजी के मध्य में है

तथा जहां आने जानेकी व्यवस्था है,

इसके परिस्तर केबगलमे बिहार सरकार की जमीन का ही है, इसकी जानकारी संबंधित पदाधिकारी को बार-बार देने पर भी पूर्ण विकास पदाधिकारी कुमार लई के सहयोग से अभिकर्ता पंचायत विद्युत्-संबन्धित कार्यकर्ता सहायिका का प्रतीक्षादी यादव मनमानी दंग से दबंगता पूर्वक कार्य कर रहे है, विभागीय जांच काकोइ अंतर नहीं है। भविष्य मे सहायिका के आंगन परिस्तर मे केन्द्र संचालन करने मे मे अपने आपकी काफी अतुरक्षित महसुस करती हूँ, वहीमेरे साथ किसी भी समय कोइ भी अप्रिय घटना का अंजाम दे सकता है, क्योंकि वे ऐसे स्वबल से दबंग प्रवृत्ति के है पूर्व पूर्ण कार्यकारी विकास पदाधिकारी कुमार लई के साथ जान लेना हमला का भी मुख्य आरोपी है।

अतःश्रीमान सेसा दरअतुरोध है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरेसा ध्याय करते हुए केन्द्र उच्च विद्यालय महा के परिस्तर केबगल मे करने की कृपा कीजाय ।

संलग्न

1. जांच प्रतिवेदन बालविकास परिषदांजना

कुमार लई

2. अंशलाधिकारी का आवेदन

दिनांक 4.7.2013

विशवासभा जिजा

विज्ञानी भारती

आंगनवाडी सेविका

केन्द्र सं० 68